



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

अति आवश्यक
स्मरण पत्र

क्रमांक:-एफ 20(6)(402)निमअ/अंकेक्षण/ऑडिट बैठक/2018-19/

11,211-219

जयपुर, दिनांक:-

12/4/19

उप निदेशक/ सहायक निदेशक

भरतपुर, जोधपुर,

टोंक, बांसवाडा, बूंदी, भीलवाडा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जालौर।

विषय :- अस्थायी अग्रिम के समायोजन का अभाव।

प्रसंग:- विभाग का पत्र क्रमांक 9289-297 दिनांक 01.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर ने दिनांक 15.02.2019 की ऑडिट कमेटी की बैठक के अंतर्गत उपलब्ध कराई गयी सूची के अनुसार आपके कार्यालय द्वारा दिये गये अस्थायी अग्रिमों के समायोजन/वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है अतः इस सन्दर्भ में दिनांक 22.04.2019 तक पूर्ण विवरण एवं समायोजन/वसूली कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना प्रेषित करावें।

(कोमल आगरी)
वित्तीय सलाहकार
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-एफ 20(6)(402)निमअ/अंकेक्षण/ऑडिट बैठक/2018-19/

11,220

जयपुर, दिनांक:-

12/4/19

प्रतिलिपि प्रोगामर महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर